

कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास
विभाग, जिला—सारंगढ़—बिलाईगढ़ (छ.ग.)

दूरभाष नम्बर— 07768—299556,

ई—मेल आई.डी. — dwed-sb@cg.gov.in

क्रमांक / ६०१ / म.बा.वि. / सा.वि. / 2024—25

सारंगढ़, दिनांक २३ / ११ / 2024

“ संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन”

“जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र”

भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति अंतर्गत सारंगढ़—बिलाईगढ़ जिले को जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हव हेतु प्राप्त स्वीकृति के आधार पर 06 पदों के लिये विज्ञापन कार्यालयीन पत्र क्रमांक / ९९ / मबावि / सा.वि. / २०२३—२४ दिनांक ०६ / १० / २०२३ को जारी किया गया। विज्ञापित पद कार्यालय सहायक हेतु कोई भी पात्र अभ्यर्थी पात्र न होने के कारण पुनः उक्त पद हेतु विज्ञापन जारी किया जा रहा है। विज्ञापित पद हेतु आवेदन दिनांक २९ / ११ / २०२४ से १९ / १२ / २०२४ तक कार्यालयीन समय ५:०० बजे तक कार्यालय, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग (पटेल विला, आईसीआईसीआई बैंक के सामने रायगढ़ रोड सारंगढ़) जिला—सारंगढ़—बिलाईगढ़ में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित है।

कार्यालय सहायक पद हेतु निर्धारित मासिक वेतन तथा अनिवार्य योग्यता का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	निर्धारित मासिक वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	अनिवार्य योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	कार्यालय सहायक	०१ (अनारक्षित)	18,420=00	6	<ul style="list-style-type: none"> • लेखा / अन्य क्षेत्र में स्नातक / डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में समिलित है। • लेखा संबंधित कार्यों का शासकीय / अद्वैशासकीय / गैर शासकीय संस्थाओं में कम से कम ०३ वर्षों का अनुभव

2. वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं का विवरण :—

मिशन शक्ति अंतर्गत जिला स्तर पर जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW- District Hub for Empowerment of Women) में आदर्श मानव संसाधन की संरचना तथा उनकी योग्यता का निर्धारण मिशन शक्ति के दिशा निर्देश में उल्लेखित है। तदनुसार उक्त पदों पर योजना अंतर्गत निर्धारित संविदा वेतन पर भारत शासन द्वारा दी जा रही सहायता तक यह पद स्वीकृत है।

- 2.1 पद हेतु वेतन संबंधी विवरण क्रमांक 1 की सारिणी के कॉलम 4 में उल्लेखित है। योजना अवधि में नियुक्त कर्मियों को मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (HUB) के प्रावधान के अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन / भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- 2.2 इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

१३०५:३०
२८ / ११ / २४

3. आयु सीमा :-

- 3.1 कार्यालय सहायक पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 3.2 आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

4. चयन हेतु आर्हताएं, मापदंड एवं अन्य शर्तेः—

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	कार्यालय सहायक	लेखा/अन्य क्षेत्र में स्नातक/डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम.एस. ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> लेखा संबंधित कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव 	<ul style="list-style-type: none"> अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।

- 4.1 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।
- 4.2 कार्यालय सहायक पद हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य किए जावेंगे।

5. नियुक्ति की प्रक्रिया :-

- 5.1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- 5.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक।
- 5.3 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे।
- 5.4 उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी।
- 5.5 वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे।
- 5.6 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- 5.7 उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 5 की उप कंडिका 5.1, 5.2, 5.3 पर प्राप्त कुल 80 अंकों के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:10 के रेशियो में वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा।

१ जैन०५
28/11/24

6. नियुक्ति की अवधि :-

- 6.1. कार्यालय सहायक पद पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 6.2. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 6.3. इन पद की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

7. अन्य नियम एवं शर्तेः

- 7.1. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- 7.2. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण—पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज़ राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।
- 7.3. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 7.4. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण—पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 7.5. शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ गैर शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण—पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- 7.6. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
- 7.7. लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन

१ जून २०२१
28/6/2021

- पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- 7.8 आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 7.9 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे।
- 7.10 कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 7.11 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
- 7.12 विज्ञापन संबंधित विस्तृत जानकारी जिले के वेब साईट <https://sarangarh-bilaigarh.cg.gov.in> पर उपलब्ध है।

१३ नवंबर
२८/११/२५

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला सारंगढ़—बिलाईगढ़ (छ.ग.)
सारंगढ़, दिनांक २८/११/२५

पृ. क्रमांक / ६०२ / म.बा.वि. / सा.वि. / २०२४—२५

प्रतिलिपि –

1. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला सारंगढ़—बिलाईगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग की ओर समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशित करने हेतु।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सारंगढ़ को शासकीय वेब साईट <https://sarangarh-bilaigarh.cg.gov.in> में अपलोड करने हेतु।
5. कार्यालय कलेक्टर एवं विभागीय सूचना पटल पर चर्चा हेतु।

१३ नवंबर
२८/११/२५

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला सारंगढ़—बिलाईगढ़ (छ.ग.)